भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1176
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

व्यावसायिक शिक्षा के एक घटक के रूप में अर्द्ध–कानूनी शिक्षा

1176. **श्री महेन्द्र मोहनः**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अर्द्ध–कानूनी शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा का एक घटक बनाये जाने संबंधी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इस संबंध में तैयार की गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव के उपयुक्त कार्यान्वयन के लिए सरकार ने राज्य सरकारों के साथ इस मामले पर चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क) से (घ): विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सूचित किया है कि इसके द्वारा विधि शिक्षा का पुनर्गठन करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेषज्ञ समिति ने जनवरी, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी सूचित किया है कि आयोग ने दिनांक 13 फरवरी, 2012 को आयोजित अपनी 483वीं बैठक में व्यावसायिक प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम (1वर्ष) तथा व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम (दो वर्ष) स्कीम पर विचार किया था तथा सैद्धांतिक रूप से इसे अनुमोदित किया था। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क के उपयुक्त कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों के साथ निरंतर बातचीत कर रही है।

****